थाना कबरई की पुलिस टीम ने 03 अभियुक्तों को

अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार, कुल 61 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा टीमों का गठन किया गया गठित टीम के उ0नि0 रामकिशन यादव द्वारा दिनांक 15.04.2024 को एक नफर अभियुक्त प्रेम प्रजापति पुत्र स्व0 रामनाथ उम्र 40 वर्ष को वर्मा तालाब के पास मु0 विवेकनगर से दो प्लास्टिक की पिपिया मे 15-15 ली0 (कुल 30 लीटर) अवैध देशी शराब नाजायज बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 रामकिशन यादव द्वारा 02 नफर अभियुक्ता क्रमशः 1. मंजा पत्नी राजकुमार कबूतरा उम्र 47 वर्ष व 2. लक्ष्मी पत्नी सुजीत कबूतरा उम्र 38 वर्ष को वर्मा तालाब कबूतरा डेरा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 02 पिपिया मे क्रमशः 15 ली0-16ली0 (कुल 31 लीटर) अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त/अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः 1.मु0अ0सं0 120/2024 2. मु0अ0सं0 121/2024 3. मु0अ0सं0 122/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया, बाद गिरफ्तारी आवश्यक कार्वयाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.प्रेम प्रजापति पुत्र स्व0 रामनाथ उम्र 40 वर्ष निवासी मु0 रानीलक्ष्मीबाई नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा।

2.मंजा पत्नी राजकुमार कबूतरा उम्र 47 वर्ष 3. लक्ष्मी पत्नी सुजीत कबूतरा उम्र 38 वर्ष निवासीगण वर्मा तालाब कबूतरा डेरा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामकिशन यादव
2. प्रशि0 उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित
3. उ0नि0 रामकिशन यादव

बरामद सम्पत्तिः-

कुल 61 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 16.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव ड्यूटी में गैर जनपद जाने वाली फोर्स को ब्रीफ कर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में हरी झण्डी दिखाकर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया गया...।

आज दिनाँक 16.04.2024 को साई डिग्री कालेज महोबा से पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपद महोबा से लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की निर्वाचन ड्यूटी हेतु गैर जनपद जाने वाली पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया एवं निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल, शान्तिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत चुनाव ड्यूटी हेतु नामित पुलिस बल को आवंटित जनपद रवाना करते हुये पुलिस बल से पार्टीवार वार्ता की गयी तथा सभी को अनुशासन बनाये रखते हुए साफ-सुथरी वर्दी धारण किये जाने एवं उनके कर्तव्यों का दायित्वबोध कराया गया। लोकसभा चुनाव ड्यूटी की महत्ता को बताते हुए राजपत्रित पुलिस अधिकारी क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर पार्टीवार/बसवार शुभकामनाओं के साथ रवाना किया गया। इस दौरान पुलिस जवानों के लिये सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी पुलिस जवानों के लिये फर्स्ट ऐड किट, लंच बाक्स, पीने का पानी, फल इत्यादि का वितरण किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम्, क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार सहित चुनाव ड्यूटी हेतु नामित समस्त अधि./कर्म. गण उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि विगत दिनांक 15.04.2024 को भी अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की निर्वाचन प्रक्रिया में शान्ति/सुरक्षा ड्यूटी हेतु बाह्य जनपद रवाना होने वाले पुलिस अधि./कर्म. की ब्रीफिंग पुलिस लाइन महोबा में की गई थी एवं सभी को लोकसभा चुनाव सकुशल चुनाव संपन्न कराने व निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराये जाने के निर्देश दिए गए थे। ब्रीफिंग के पश्चात नामित पुलिस बल को पुलिस लाइन में भोजन कराते हुये साई डिग्री कालेज महोबा में रात्रि विश्राम कराया गया।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा द्वारा गठित टीम के उ0नि0 रामकिशन यादव द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त शिवचरन उर्फ शिवा पुत्र रजवा कुशवाहा निवासी मु0 गांधी नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा को सम्बन्धित अ0सं0 762/2012 G.S.T NO. 06/2019 धारा 2/3 G.S.T Act थाना कबरई में मु0 गांधीनगर से गिरफ्तार किया गया । बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को सम्बन्धित माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी) महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामकिशन यादव
2. हे0का0 रामकरन सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

शिवचरन उर्फ शिवा पुत्र रजवा कुशवाहा उम्र 40 वर्ष निवासी मु0 गांधी नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 16.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

-मॉकड्रिल में छात्र-छात्राओं एवं अन्य स्थानीय लोगों को सिखाये आग बुझाने के तरीके-

"अग्निशमन सेवा सप्ताह" (14 अप्रैल से 20 अप्रैल) के दृष्टिगत अग्निशमन टीम द्वारा किया जा रहा है जागरुक, विभिन्न स्थानों में अग्निसुरक्षा से सम्बन्धित लगाई गईं जागरुकता होल्डिंग-

अग्नि से सम्बन्धित दुर्घटनाओं में प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपदवासियों को अग्निसुरक्षा के प्रति जागरुकता प्रदान किये जाने व जनपद में अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह (14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक) के तहत आज दिनांक 16.04.2024 को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री देवेश तिवारी के नेतृत्व में अग्निशमन टीम महोबा द्वारा "अग्निशमन सुरक्षा सेवा सप्ताह" के तहत जनपद महोबा के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थापित स्कूलों, मैरिज़ हॉल, होटल एवं दाल-मिलों इत्यादि स्थानों में जाकर वहाँ मौजूद छात्र-छात्राओं, शिक्षक व अन्य स्थानीय लोगो एवं श्रृमिक वर्ग को अग्निसुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया एवं आग से बचाव हेतु मॉकड्रिल का आयोजन कर आग पर काबू पाने के विभिन्न तरीकों को बताया गया व अग्निसुरक्षा से सम्बन्धित पम्पलेट वितरित किए गए।

अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जागरुकता कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में अग्निशमन टीम महोबा द्वारा जनपद में शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न भीड़-भाड़ वाले स्थलों, मुख्य मार्गों एवं चौराहों पर अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु होल्डिंग लगवायी गयीं, होल्डिंग में आग लगने पर 'क्या करें, क्या न करें' के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई है।

इस प्रकार अग्निशमन टीम द्वारा किये जा रहे अग्निसुरक्षा के विभिन्न प्रयासों से निश्चित रुप से क्षेत्र में अग्नि से होने वाली विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यापक स्तर पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 16.04.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता,पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 16.04.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने
अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी श्री मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा बनायी गयी टीम के उ0नि0 रमेश कुमार यादव द्वारा एक नफर अभियुक्त रणविजय श्रीवास पुत्र अमरजीत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम किल्हौआ थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को निश्वारा तिराहा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ जिसके सम्वन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 75/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करके माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

बरामदगी-

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ ।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

रणविजय श्रीवास पुत्र अमरजीत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम किल्हौआ थाना पनवाड़ी महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रमेश कुमार यादव
2. का0 धर्मेन्द्र कुमार
3. का0 कौशल प्रताप